रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 2018/भाद्र 19, 1940
No. 626] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2018/BHADRA 19, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 853(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) तीसरा संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये 02 अक्तूबर, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"9क. असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों द्वारा विभौतिकीकृत रूप में प्रतिभूतियां जारी करना.- (1) प्रत्येक असूचीबद्ध कंपनी निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार -

(क) केवल विभौतिकीकृत रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेगी; और

(ख) इसकी सभी विदयमान प्रतिभूतियों के विभौतिकीकरण को सुकर बनाएगी।

(2) कोई भी प्रतिभूतियां जारी करने या प्रतिभूतियों की पुनः क्रय करने या बोनस शेयर या राइट प्रस्थापना जारी करने के लिए प्रस्थापना करने वाली प्रत्येक असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी प्रस्थापना करने से पूर्व इसके संप्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की प्रतिभूतियों की संपूर्ण

धृति को निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार विभौतिकीकृत किया गया है।

(3) किसी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी का प्रत्येक धारक –

(क) जो 02 अक्तूबर, 2018 को या उसके पश्चात् ऐसी प्रतिभूतियां अंतरित करने का आशय रखता है, अंतरण से पूर्व ऐसी विभौतिकीकृत प्रतिभूतियों को प्राप्त करेगा; या

(ख) जो किसी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी की किसी प्रतिभूति 02 अक्तूबर, 2018 को या उसके पश्चात् अभिदाय करता है (चाहे वह निजी नियोजन या बोनस शेयरों या राइट प्रस्थापना जारी करने के माध्यम से हो), तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अभिदाय करने से पहले उसकी सभी विद्यमान प्रतिभूतियों को विभौतिकीकृत रूप में रखा गया है।

(4) प्रत्येक असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड.) में यथापरिभाषित निक्षेपागार में आवश्यक आवेदन करके अपनी सभी विद्यमान प्रतिभूतियों को विभौतिकीकृत रूप में सुकर बनाएगी और प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) प्राप्त करेगी और अपने सभी विद्यमान प्रतिभूतिधारकों को उक्त सुविधा के बारे में सूचित करेगी।

(5) प्रत्येक असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि -

(क) वह पक्षकारों के बीच निष्पादित किए गए करार के अनुसार निक्षेपागार तथा निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को समय पर फीस (प्रवेश और वार्षिक) संदाय करती है;

(ख) वह निक्षेपागार और निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता के पास सभी समयों पर कम से कम दो वर्ष का प्रतिभूति निक्षेप ऐसे रूप में बनाए रखती है, जैसा पक्षकारों के बीच करार पाया जाए; और

(ग) वह असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों के शेयरों के विभौतिकीकरण और उसके आनुषंगिक या संबंधित विषयों के संबंध में समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी विनियमों या निर्देशों या दिशा-निर्देशों या परिपत्रों, यदि कोई हों, का अनुपालन करती है।

(6) कोई भी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, जिसमें उप-नियम (5) में व्यतिक्रम किया है, निक्षेपगारों या निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को संदाय किए जाने तक किसी भी प्रतिभूति का प्रस्थापना नहीं करेगी या अपनी प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस नहीं लेगी या कोई बोनस या राइट शेयर जारी नहीं करेगी।

(7) उप-नियम (8) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, निक्षेपागार अधिनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 के उपबंध असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों की प्रतिभूतियों के विभौतिकीकरण पर समान रूप से लागू होंगे।

(8) असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 के विनियम 55क के अधीन उपबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट अर्द्धवार्षिक आधार पर उस रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी जिसके अधिकारक्षेत्र के अधीन कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है।

(9) इस नियम के अधीन असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतें, यदि कोई हैं, विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के समक्ष फाइल की जाएंगी।

(10) विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पूर्व परामर्श के बाद ही किसी निक्षेपागार या सहभागी या निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

[फा.सं. 1/21/2013-सीएल-V]

के. वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 251(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् तारीख 30 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 424(अ) और तारीख 07 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 430(अ) और तारीख 07 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 752(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

G.S.R. 853(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 29 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Third Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the 2nd day of October, 2018.

2. In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:-

"9A. Issue of securities in dematerialised form by unlisted public companies.- (1) Every unlisted public company shall –

(a) issue the securities only in dematerialised form; and

(b) facilitate dematerialisation of all its existing securities

in accordance with provisions of the Depositories Act, 1996 and regulations made there under.

(2) Every unlisted public company making any offer for issue of any securities or buyback of securities or issue of bonus shares or rights offer shall ensure that before making such offer, entire holding of securities of its promoters, directors, key managerial personnel has been dematerialised in accordance with provisions of the Depositories Act, 1996 and regulations made there under.

(3) Every holder of securities of an unlisted public company,-

(a) who intends to transfer such securities on or after 2nd October, 2018, shall get such securities dematerialised before the transfer; or

(b) who subscribes to any securities of an unlisted public company (whether by way of private placement or bonus shares or rights offer) on or after 2nd October, 2018 shall ensure that all his existing securities are held in dematerialized form before such subscription.

(4) Every unlisted public company shall facilitate dematerialisation of all its existing securities by making necessary application to a depository as defined in clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996 and shall

secure International Security Identification Number (ISIN) for each type of security and shall inform all its existing security holders about such facility.

(5) Every unlisted public company shall ensure that -

(a) it makes timely payment of fees (admission as well as annual) to the depository and registrar to an issue and share transfer agent in accordance with the agreement executed between the parties;

(b) it maintains security deposit, at all times, of not less than two years' fees with the depository and registrar to an issue and share transfer agent, in such form as may be agreed between the parties; and

(c) it complies with the regulations or directions or guidelines or circulars, if any, issued by the Securities and Exchange Board or Depository from time to time with respect to dematerialisation of shares of unlisted public companies and matters incidental or related thereto.

(6) No unlisted public company which has defaulted in sub-rule (5) shall make offer of any securities or buyback its securities or issue any bonus or right shares till the payments to depositories or registrar to an issue and share transfer agent are made.

(7) Except as provided in sub-rule (8), the provisions of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 and the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 shall apply *mutatis mutandis* to dematerialisation of securities of unlisted public companies.

(8) The audit report provided under regulation 55A of the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 shall be submitted by the unlisted public company on a half-yearly basis to the Registrar under whose jurisdiction the registered office of the company is situated.

(9) The grievances, if any, of security holders of unlisted public companies under this rule shall be filed before the Investor Education and Protection Fund Authority.

(10) The Investor Education and Protection Fund Authority shall initiate any action against a depository or participant or registrar to an issue and share transfer agent after prior consultation with the Securities and Exchange Board of India.

[F. No. 1/21/2013-CL-V]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note:—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 251(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended *vide* number G.S.R. 424(E), dated the 30th June, 2014 and number G.S.R. 430 (E) dated the 7th May, 2018 and number G.S.R. 752 (E) dated the 7th August, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.15 09:15:05 +05'30'